उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष / फैक्स : 0135–2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 535 /3-3(5)/2023-24/ दिनांक– 19 फरवरी, 2024

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उप निदेशक (कियान्वयन अभिकरण)

विषय :– **कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना (APO) के अंतर्गत आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा प्राप्त स्वीकृति व उत्तराखण्ड शासन से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लेखाशीर्षक 2406–04–103–03–04 **"निवल वर्तमान मूल्य" (एन0पी0वी0)** के अंतर्गत कुल **₹ 1233.17 लाख** का बजट अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन कार्यालय के माध्यम से निम्न पत्र द्वारा संबंधित प्रभागों को आवंटित किया गया हैः–

वित्त नियंत्रक / अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा आवंटित बजट व पत्रांक	संबंधित मानक मदों में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का प्रभागवार आवंटन
पत्रांक नि0 / 1151 / 3–5 दिनांक 14 फरवरी, 2024 के माध्यम से वन विभाग के अनुदान सं0 27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार धनराशि का आवंटन किया गया हैः–	• आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण संलग्नक अनुसार (संलग्नक–1) *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में अपलोड है।*

लेखाशीर्षक / मानक मद	मानक मद	धनराशि (लाख ₹ में)
2406–04–103–03–04 (42–विभागीय व्यय)	"वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य"	1233.17
कुल योग		**1233.17**

कैम्पा की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 के अंतर्गत **"निवल वर्तमान मूल्य" (NPV)** के अन्तर्गत किये जाने वाली विभिन्न गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु आवंटित धनराशि एवं मानक मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि तद्नुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप गतिविधियों को पूर्ण करते हुए प्रगति की ससमय MIS प्रविष्टि पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार आवंटित की गई धनराशि के उपयोग के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंः–

विभिन्न वन प्रभागों से प्राप्त संशोधित डी.टी.आर. के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की गयी है कि सम्बन्धित वन प्रभाग पूर्व प्रेषित डी.टी.आर. को निर्धारित गाईडलाईन व प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों तथा जायका परियोजना के सीनियर कंसलटेंट श्री एस.वी. शर्मा से परीक्षण के आधार पर संशोधित डी.टी.आर. कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध करवाते हुए, संशोधित डी.टी.आर. अनुसार मृदा एवं जल संरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे।

तदोपरान्त प्राप्त संशोधित डी.टी.आर. के अनुसार क्रियान्वयन अभिकरणों को अवशेष धनराशि के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

नियम एवं शर्तें:–

राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 03.07.2023 द्वारा जारी मुख्य दिशा निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं:–

i. "The approved activities shall be carried out as per Rule-4 of the Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rules, 2018 i.e. as per the provisions of the State Financial Rules or any such rules applicable from time to time in the State."

ii. All the records of CAMPA activities including amount sanctioned and expenditure incurred should be maintained at division level since its inception. The records should be properly maintained at Range and Division level.

iii. "Local and indigenous species, especially fruit and fodder species should be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture and planting of exotic species should be avoided."

iv. As per directions of National Authority, Government of India, photographs, KML files, plantation maps etc. of achievements under approved activities are to be uploaded on websites maintained by the State authorities. Divisions must upload relevant & good quality photographs on CAMPA MIS where required. At least one of the photographs for each activity must have been taken before start of work and at least one after completion of work.

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–1476/X-2-2023-12(07)2021 दिनांक 28.07.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देश:–

1. The Compensatory Afforestation Fund Rules 2018 का अनुपालन करते हुये यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त धनराशि का व्यय करते समय कैम्पा के नियम/अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 14.12.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. कार्य हेतु वित्त विभाग से शासनादेश सं0–245/XXVII(07)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. बिना प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
5. निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
6. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–1/111469/9(150)2019/xxvii(1)2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अन्य शर्तेः–

1. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
2. **भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली – 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।**

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली – 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे ;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो , के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशो के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

3. **सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।**
4. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की **वाउचर आधारित** पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार **वाउचर आधारित** प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
5. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. **कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।**
7. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
9. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
11. **प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।**

12. **कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।**
13. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 535 /3-3(5)/2023-24/ **दिनांकित**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड, पौड़ी ।
3. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

संलग्नकः यथोपरि।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 535 /3-3(5)/2023-24/ **दिनांकित**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

NPV

Amount ₹ in lakh

Name of Division	Soil and water conservation through Detailed Technical report (DTRS)			
	Total Physical & Financial Targets of 128 streams for Ist year (2023-24)		Allotment	
	Phy (Nos) Streams	Fin	Phy (Nos) Streams	Fin (50% of total cost
1	2	3	4	5
Allotment				1233.17
ALMORA DIVISION	9 Streams (Khangad gadhera, Asuro, Puladi, Baiganiya, Bale gaghera, Mangro gada, Kanjghad, Noli gadhera, Kharesu gadhera)	86.78	9 Streams (Khangad gadhera, Asuro, Puladi, Baiganiya, Bale gaghera, Mangro gada, Kanjghad, Noli gadhera, Kharesu gadhera)	43.39
PITHORAGARH DIVISION	5 Streams (Jhadiya nala, Kauli nala, Gharudigad, Dug nala, Doligad)	189.80	5 Streams (Jhadiya nala, Kauli nala, Gharudigad, Dug nala, Doligad)	94.90
CHAMPAWAT DIVISION	3 Streams (Guteli nala, Jamanpod nala, Kothera nala)	38.51	3 Streams (Guteli nala, Jamanpod nala, Kothera nala)	19.26
BAGESHWAR DIVISION	4 Streams (Upangad, Siminargol, Kamedi, Thaklad)	150.74	4 Streams (Upangad, Siminargol, Kamedi, Thaklad)	75.37
Total in NORTH KUMAON CIRCLE	**21**	**465.83**	**21**	**232.92**
NAINITAL DIVISION	8 steams (Jadapani, Shipra, Kalsa, Takura, Burtoli, Dharta, Ratudi, Saur)	256.76	8 steams (Jadapani, Shipra, Kalsa, Takura, Burtoli, Dharta, Ratudi, Saur)	128.38
RAMNAGAR SC DIVISION	10 Strems (Reegdi Raula, Jukhani Rauli, Tudi Rauli, Dhunggad Raula, Ratwad Gadhera, Katra Raula, Bachra Rauli, Timla Rauli, Douta Raula, Ghathodi Rauli	253.72	10 Strems (Reegdi Raula, Jukhani Rauli, Tudi Rauli, Dhunggad Raula, Ratwad Gadhera, Katra Raula, Bachra Rauli, Timla Rauli, Douta Raula, Ghathodi Rauli	126.86
NAINITAL SC DIVISION	8 Steams (Pastola, Chyuni, Dadima, Letibunga, Dahra, Pashya, Kwedal, Adoda)	238.08	8 Steams (Pastola, Chyuni, Dadima, Letibunga, Dahra, Pashya, Kwedal, Adoda)	119.04
Total in SOUTH KUMAON	**26**	**748.56**	**26**	**374.28**
HALDWANI DIVISION	5 Streams (Cugad nala, Karakot nala, Similya nala, Rati gad nala, Chela nala)	123.62	5 Streams (Cugad nala, Karakot nala, Similya nala, Rati gad nala, Chela nala)	61.81
Total in WESTERN CIRCLE	**5**	**123.62**	**5**	**61.81**
Total KUMAON	**52**	**1338.01**	**52**	**669.01**

Name of Division	Soil and water conservation through Detailed Technical report (DTRS)			
	Total Physical & Financial Targets of 128 streams for Ist year (2023-24)		Allotment	
	Phy (Nos) Streams	Fin	Phy (Nos) Streams	Fin (50% of total cost
1	2	3	4	5
UTTARKASHI DIVISION	10 Streams Khurmola gad (Wanalseri, Syalna khadd, Molyani nala, Chamroligad, Ringalja nala, Badet, Kuldhar nala, Jamriyani nala, Dandkhal, Rahatmati)	132.55	10 Streams Khurmola gad (Wanalseri, Syalna khadd, Molyani nala, Chamroligad, Ringalja nala, Badet, Kuldhar nala, Jamriyani nala, Dandkhal, Rahatmati)	66.28
TEHRI DAM1 DIVISION	2 Streams (Maid Ghadera, Jagothi)	95.41	2 Streams (Maid Ghadera, Jagothi)	47.71
NARENDRA NAGAR DIVISION	7 Streams (Khajrapani, Pulaband Gadhera, Girudi Gadhera, Gwani Gad, Godi Gad, Papdi khala, Malli Chat Ghadera)	163.30	7 Streams (Khajrapani, Pulaband Gadhera, Girudi Gadhera, Gwani Gad, Godi Gad, Papdi khala, Malli Chat Ghadera)	81.65
Total in BHAGIRATHI CIRCLE	19	391.26	19	195.64
PAURI CS DIVISION	10 Streams (Choda gadhera, Pandera gad, Mangera gad, Gedkuwan gadhera, Gedkuwan, Pandera dhar, Bichli dhara, Mangra tok, Dayam khetu, Gadgadan)	68.60	10 Streams (Choda gadhera, Pandera gad, Mangera gad, Gedkuwan gadhera, Gedkuwan, Pandera dhar, Bichli dhara, Mangra tok, Dayam khetu, Gadgadan)	34.30
ALAKNANDA SC DIVISION	10 Streams (Khatiyari, Lolti, Rain gadhera, Rotagad, Urvasi, Bagoli, Bursadi, Degad, Gaumya, Hero mangra)	153.01	10 Streams (Khatiyari, Lolti, Rain gadhera, Rotagad, Urvasi, Bagoli, Bursadi, Degad, Gaumya, Hero mangra)	76.51
Total in GARHWAL CIRCLE	20	221.61	20	110.81
LANSDOWNE SC DIVISION	7 Stremas (Rothiya Raula, Dargwasi Tok, Diyul Gadhera, Bhaidgaon, Bangyal Syar, Androl Gadhera, Seeta Raula)	114.19	7 Stremas (Rothiya Raula, Dargwasi Tok, Diyul Gadhera, Bhaidgaon, Bangyal Syar, Androl Gadhera, Seeta Raula)	57.10
KALSI SC DIVISION	9 Streams (Kothiwala Gadhera, Chauki Bahed, Jungle wala, Gujron wala, Firangi wala, Torowala, Sheru khala, Naya shrot Gadhera, Khilawala Ghadera)	60.85	9 Streams (Kothiwala Gadhera, Chauki Bahed, Jungle wala, Gujron wala, Firangi wala, Torowala, Sheru khala, Naya shrot Gadhera, Khilawala Ghadera)	30.43
Total in SHIVALIK CIRCLE	16	175.04	16	87.53
MUSSOORIE DIVISION	6 Streams (Dholani khala, Dabiyan khala, Lwarkha Khala, Gadola Nala, Arel Gaon khala, Joodawala)	117.38	6 Streams (Dholani khala, Dabiyan khala, Lwarkha Khala, Gadola Nala, Arel Gaon khala, Joodawala)	58.69

Name of Division	Soil and water conservation through Detailed Technical report (DTRS)			
	Total Physical & Financial Targets of 128 streams for Ist year (2023-24)		Allotment	
	Phy (Nos) Streams	Fin	Phy (Nos) Streams	Fin (50% of total cost
1	2	3	4	5
Total in YAMUNA CIRCLE	**6**	**117.38**	**6**	**58.69**
Total GARHWAL	**61**	**905.29**	**61**	**452.67**
KEDARNATH DIVISION	**10 Streams (Baragad, Banarsen, Bhaunee, Bhoran, Domgaad, Hanjira, Hanaz, Karanprayag, Sindhrvani, Vurldhar)**	124.10	**10 Streams (Baragad, Banarsen, Bhaunee, Bhoran, Domgaad, Hanjira, Hanaz, Karanprayag, Sindhrvani, Vurldhar)**	62.05
KALAGARH TIGER RESERVE	**2 Streams (Kugadda, Dhaniya)**	34.14	**2 Streams (Kugadda, Dhaniya)**	17.07
GANGOTRI NATIONAL PARK	**3 Streams (Maina Gad, Patangni Gad, Rudragaira Gad)**	64.74	**3 Streams (Maina Gad, Patangni Gad, Rudragaira Gad)**	32.37
Total WILDLIFE	**15**	**222.98**	**15**	**111.49**
All Total	**128**	**2914.29**	**128**	**1233.17**

विभिन्न वन प्रभागों से प्राप्त संशोधित डी.टी.आर. के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की गयी है कि सम्बन्धित वन प्रभाग पूर्व प्रेषित डी.टी.आर. को निर्धारित गाईडलाईन व प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों तथा जायका परियोजना के सीनियर कंसलटेंट श्री एस.वी. शर्मा से परीक्षण के आधार पर संशोधित डी.टी.आर. कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध करवाते हुए, संशोधित डी.टी.आर. अनुसार मृदा एवं जल संरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त प्राप्त संशोधित डी.टी.आर. के अनुसार क्रियान्वयन अभिकरणों को अवशेष धनराशि के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA